परिशिष्ट ''ग''

भाग– I

ऐसे स्टेशनों पर जहाँ प्रारम्भिक अन्तर्पाशन या माडीफायड की लाकिंग की व्यवस्था है, कार्य संचालन के लिए विशेष अनुदेश

1. **लागू होनाः** ये अनुदेश, उन सभी स्टेशनों पर लागू होते हैं जहाँ प्रारम्भिक (रूडिमेंटरी) अन्तर्पाशन (इन्टरलाकिग) या माडीफाइड की लाकिंग की व्यवस्था है।

2. **स्टेशन मास्टर की लाइन चाभियांः** स्टेशन मास्टर के पास निम्नलिखित चाभियां दी जाती हैं :–

   (i) स्टेशन संचालन नियम में दिखाई गई लाइनों के अनुसार लाइन चाभियां,

   (ii) (क) एक चाभी जो होम सिगनल के लीवरों तथा उन साइडिंग कांटों को नियंत्रण करती है जिन पर एच.पी.ताले लगाए गये है और जो परिचालित लाइन से निकलते है।

   (ख) एक चाभी जो ऐसे स्टेशनों के होम सिगनल के लीवरों को नियंत्रित करती हो जहाँ पर साइडिंग लूप लाइन से या ऐसी लाइन से निकलती है जिस पर गाड़ियों को बिना रूके जाने की अनुमति नहीं है तथा ऐसी साइंडिग को नियंत्रित करने वाले कांटों पर ताले बन्द किए जाते हैं।

   नोटः– अनुच्छेद (ख) केवल उन साइडिंग को लागू होता है जो मुख्य लाइन को छोडकर अन्य परिचालित लाइन से निकलती हैं।

   (iii) अप और डाउन दिशाओं के लिए दो दिशा वाली चाभियाँ।

3. **लाइन चाभियों का उद्‌देश्यः** लाइन चाभियों का उद्‌देश्य यह है कि स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन जमादार/पैटमैन को जिस लाइन पर गाड़ी ली जाने वाली है उस लाइन के लिए निश्चित आदेश मिले।

4. **चाभियों की अभिरक्षा :** लाइन की चाभियों, सिगनल को नियंत्रण करने वाली चाभी और दिशाओं को नियंत्रित करने वाली चाभियां ड्‌यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रहनी चाहिए। चाभियां जब उपयोग में न हो तो इस उद्‌देश्य से लगे हुए शीशे के चाभी बक्स में ताला बन्द करके रखी रहनी चाहिए।

5. **गाड़ियों के प्रवेश की कार्य विधिः** (i) ज्योंही लाइन क्लीयर दिया जाय, ड्‌यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर स्टेशन घंटी बजवायेगा और गाड़ी का विवरण, स्टेशन का नाम जहाँ से गाड़ी रवाना हुई है या होने वाली है कर्मचारियों को सचेत करने के लिए पुकरवायेगा।

   (ii) स्टेशन घंटी सुनकर यार्ड के सम्मुख तथा अनुमुख ओर ड्‌यूटी पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन को ड्‌यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के पास आदेश के लिए रिपोर्ट करना चाहिए।

   (iii) ड्‌यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन जमादार/पैटमैन को एक दूसरे के समक्ष सुनने में आदेश देना चाहिए कि किस लाइन में गाड़ी ली जायेगी और साथ ही यार्ड के सम्मुख ओर ड्‌यूटी पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन को उस लाइन के लिए उपुयक्त चाभी दे देनी चाहिए।

   नोट : सहायक नियम 5.01; (10) (ख) के नीचे नोट (1) और (2) देखें।

   (iv) तत्पश्चात् लाइन जमादार/पैटमैन को सभी सम्मुख कांटों पर जिस पर गाड़ी पास होगी, जाना चाहिए और स्टेशन संचालन नियम में संलग्न सिगनलिंग परिशिष्ट में दिए गए अनुदेशों के अनुसार कांटों को बनाना तथा ताला बन्द करना चाहिए।

APPENDIX 'C'

PART-I

Special instructions for Working Stations equipped with Rudimentary Interlocking and Modified Key Locking.

1. **Applications**: - These instructions apply to all non-interlocked stations where rudimentary interlocking and modified key locking is provided.
2. **Station Master's Line Key**: - The Station Master has been provided with the following keys: -
   (i) Line Keys to correspond with the running line as shown in the Station Working Rules.
   (ii) (a) A Key which controls the Home Signal Levers, and siding points where H.P. locks are provided on siding points taking off running line.
   (b) A key which controls Home Signal Levers at stations where the siding takes off from a loop line or a line over which trains are not permitted to run through and the points governing the siding/sidings are to be locked by pad lock.

NOTE:- Para (b) applies only to sidings taking off the running lines other than the main line.

   (iii) Two Direction Keys for Up and Down directions.

3. **Object of Line Keys**: - The object of the Line Keys is to provide definite instructions for the Line Jamadar/Pointsman from the Station Master as to the line on which a train has to be admitted.
4. **Custody of Keys:** - The Line Keys, the signal control key and the Direction Control Keys must be kept in the custody of the Station Master on duty, and when not in use must be kept locked up in the glazed key box provided for the purpose.
5. **Procedure for reception of trains**: - (i) As soon as 'Line Clear' has been given the Station Master on duty will have the station bell rung and the description of the train and the station it has left, or about to leave called out loudly to alert the staff.
   (ii) On hearing the station bell the Pointsman/Jamadar on duty at the facing and trailing ends of the station yard must report to the Station Master on duty for orders.
   (iii) The Station Master on duty in the presence and hearing of each must instruct the Line Jamadar/Pointsman as to the Line on which the train is to be received at the same time giving the Line Jamadar/Pointsman on duty at the facing end of the yard the appropriate Line Key for the particular line.

   See Note (1) and (2) under S.R. 5.01 (10) (b)

   (iv) The Line Jamadar/Pointsman must then proceed to all facing points over which incoming train will have to pass and set and lock them in accordance with the instructions contained in the signaling appendix attached to the Station Working Rules.

(v) स्टेशन मास्टर के अनुदेशों और अपने पास में होने वाले लाइन चाभी के अनुसार गाड़ी के प्रवेश के लिए सम्मुख कांटों का सेट करने और ताला बन्द कर देने के पश्चात बाहरी सम्मुख कांटों पर ट्रीपल सम्मुख (तीहरी) हैण्ड प्लजर लाक से निकाली हुई चाभी को लाइन जमादार/पैटमैन होम सिगनल के खम्भे में लगे ताले में लगा देगा और तब ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर से हरे सिगनल का आदान–प्रदान करेगा।

(vi) यार्ड के अनुमुख और ड्यूटी पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन को सबसे बाहरी अनुमुख कांटों पर जाना चाहिए और जिस लाइन पर गाड़ी आने वाली है उसके लिए अनुमुख कांटों को सही तौर पर बनाना चाहिए। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर से सिगनल का आदान–प्रदान करना चाहिए।

(vii) ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर का कांटों के संकेतकों की स्थिति को देखकर अपने आपको यह आवश्स्त करने के बाद कि उसके अनुदेशों के अनुसार सम्मुख कांटे सही तौर पर बना दिए गए और उनमें ताला बन्द है, होम सिगनल 'आफ' करना चाहिए या 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करना चाहिए। तब सम्मुख कांटों पर जमादार/पैटमैन आउटर सिगनल ''आफ'' करेगा।

नोटः– सहायक नियम 5.01 (10)(च)(i) और (ii) देखें।

(viii) गाड़ी के आगमन के पश्चात तथा सभी कांटों और कैचियों से आफ खड़ी होने के बाद और यदि ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग का कोई ओदश नहीं दिया गया है, तो जमादार/पैटमैन को चाहिए कि होम सिगनल के खम्भे पर लगे ताले से चाभी निकाल लें, कांटों के ताले को खोल दें और सम्बन्धित लाइन चाभी तिहरे एच0पी0लाक से निकालकर और कांटों को सामान्य स्थिति में बनाकर स्टेशन वापस आये तथा ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को लाइन चाभी लौटा दें।

6. **गाडियों का प्रस्थानः–** (i) स्टेशन से किसी गाड़ी को रवाना करने के पूर्व ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को कांटे के संकेत को देखकर अपने आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि गाड़ी को रवाना करने के लिए अनुमुख कांटे सही तौर पर बनाये गए है और तत्पश्चात् अनुमुख कांटों पर ड्यूटी पर तैनात जमादार/पैटमैन से हरे हैण्ड सिगनल का आदान–प्रदान करना चाहिए।

(ii) तत्पश्चात् लोको पायलट को प्रस्थान आदेश दिया जाना चाहिए और तब ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को गाड़ी चलाने की आज्ञा देनी चाहिए।

(iii) अनुमुख कांटों पर ड्यूटी पर तैनात जमादार/पैटमैन को जाने वाली गाड़ी को हरा हैण्ड सिगनल देना चाहिए और जब तक गाड़ी सभी कांटों और कैचियों से निकल न जाय, तब तक कांटों पर रहना चाहिए।

(iv) गाड़ी चले जाने के पश्चात अनुमुख कांटे के जमादर/पैटमैन को सभी कांटों को सामान्य स्थिति में बना देना चहिए और स्टेशन वापस आ जाना चाहिए।

7. **स्टेशन पर गाड़ियों का क्रास करनाः** जब दो गाडियाँ स्टेशन पर क्रास करें तो सहायक नियम 5.01 (10) (ट) का पालन करना चाहिए।

भागः–II

ऐसे स्टेशनों पर जहाँ अन्तर्पाशन (इण्टरलाकिंग) मानक 1 विशेष की व्यवस्था है, कार्य संचानल के लिए विशेष अनुदेश

1. **लागू होना** : ये अनुदेश उन सभी स्टेशनों पर लागू होते है, जहाँ अन्तर्पाशन मानक 1 (विशेष) की व्यवस्था है।

(v) After setting and locking the facing points for the reception of the train in accordance with the Station Master's instructions and the Line Key in his possession, the Line Jamadar/Pointsman must insert the key extracted from the Triple H.P. Key lock at the advance facing points and insert in the lock provided on the Home Signal post and then exchange a green signal with the Station Master on duty.

(vi) The Line Jamadar/Pointsman on duty at the trailing end of the yard must proceed to the outermost trailing points and on his way there correctly set all trailing points for the line on to which the incoming train is to be received and then exchange a green signal with the Station Master on duty.

(vii) The Station Master on duty after satisfying himself-that the facing points have been set and locked in accordance with his instructions by observing the position of the Points Indicators, must take 'OFF' or authorize the taking 'OFF' of the Home Signal. The Jamadar/Pointsman at the facing Points will then take 'OFF' the Outer Signal.

Note - (See S.R. 5.01 (10) (f) (i) and (ii))

(viii) After the train has arrived and cleared all points and crossings and if no orders for shunting have been given by the Station Master on duty the Jamadar/Pointsman must extract the key from the lock on the post of the Home Signal, unlock the points, extract the relevant Line Key from the Triple H.P. Key lock, set the points in their normal position, return to the station and make over the Line Key to the Station Master on duty.

6. **Dispatch of trains:** - (i) Before a train is dispatched from a station the Station Master on duty must satisfy himself-that the trailing points are correctly set for the dispatch of the train by the position of the Points Indicators and must then exchange a green hand signal with the Jamadar/Pointsman on duty at the trailing points.

(ii) The Authority to proceed must then be made over to the Loco Pilot and the Station Master on duty must then give permission for the train to start.

(iii) The Jamadar/Pointsman on duty at the trailing points must display a green hand signal towards the parting train and must remain at the points till the departing train has cleared all points and crossings.

(iv) The Jamadar/Pointsman at the trailing points after the passage of the train must reset all points in their normal position and return to the station.

7. Trains Crossing at a Station: - When two trains are to be crossed at a station the instructions contained in Subsidiary Rule 5.01 (10) (k) must be observed.

PART-II

Special Instructions for working Stations equipped with Standard I (Special) Interlocking.

1. **Applications**: - These instructions apply to all the stations where Standard I (Special) Interlocking is provided.

2. **स्टेशन मास्टर की लाइन चाभियां**: स्टेशन मास्टर के पास निम्नखिलित चाभियां रहती हैः–

(i) स्टेशन संचालन नियम में दिखाई गई लाइनों के अनुसार लाइन चाभियां,

(ii) एक सिगनल नियंत्रण की चाभी जो होम सिगनल के लीवरों तथा उन साइडिंग कांटों को नियंत्रण करती है, जिन पर एच0पी0 ताले लगाये गये हैं,

(iii) अप और डाउन दिशाओं के लिए दो दिशा वाली चाभियाँ है।

3. **लाइन चाभियां का उद्देश्य**: लाइन चाभियां का उद्देश्य यह है कि स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन जमादार/पैटमैन को जिस लाइन पर गाड़ी ली जाने वाली है उस पर लाइन के लिए निश्चित आदेश मिले।

4. **चाभियों की अभिरक्षा**: लाइन की चाभियां, सिगनल को नियंत्रित करने वाली चाभी और दिशाओं को नियंत्रित करने वाली चाभियां कार्यरत स्टेशन मास्टर के अभिरक्षा में रहनी चाहिए। उपयोग में न होने की दशा में लाकअप बक्सा/शीशे के चाभी बक्सा में ताला बन्द करके रखी रहनी चाहिए।

5. **अतिरिक्त निकट (होम) सिगनल हत्था की व्यवस्था**: इन स्टेशनों पर एक ही खम्भें पर एक के नीचे दूसरे निकट दो सिगनल हत्थे का प्रावधान है। ऊपर का निकट सिगनल हत्था मुख्य लाइन के लिए होता है और नीचे का हत्था लूप लाइन/लाइनों के लिए होता है।

(विशेष रूप में साधारण नियम 3.22 (2) देखें)

6. **रूकने वाली गाड़ियों के प्रवेश की क्रिया विधि**: (i) ज्योंही लाइन क्लीयर दिया जाय, कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन घंटा बजवायेगा और गाड़ी का विवरण, स्टेशन का नाम जहाँ से गाड़ी रवाना हुई है या होने वाली है कर्मचारियों को सचेत करने के लिए जोर से पुकरवायेगा।

(ii) स्टेशन की घंटी सुनकर यार्ड के सम्मुख तथा अनुमुख दिशा की ओर कार्य– स्थित लाइन जमादार/पैटमैन को कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास आदेश के लिए उपस्थित होना चाहिए।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन जमादार/पैटमैन को एक दूसरे के समक्ष सुनने में आदेश देना चाहिए कि किस लाइन पर गाड़ी ली जायेगी और साथ ही यार्ड के सम्मुख और ड्यूटी पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन को उस लाइन के लिए उपर्युक्त चाभी दे देना चाहिए।

नोट : सहायक नियम 5.01 (10) (ख) के नीचे नोट (i) एवं (ii) देखें।

(iv) तत्पश्चात् लाइन जमादार/पैटमैन को सभी सम्मुख कांटों पर जिन पर गाड़ी पास होनी है जाना चाहिए और सम्बन्धित लाइन के लिए स्टेशन संचालन नियम में संलग्न सिगनलिंग परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार कांटों को सेट तथा लाक करना चाहिए।

(v) स्टेशन मास्टर के अनुदेशों और अपने पास में होने वाली लाइन चाभी के अनुसार गाड़ी के प्रवेश के लिए सम्मुख कांटों को सेट करने और ताला बन्द करने के बाद वाहरी सम्मुख पर तिहरी (ट्रिपल) हैण्ड प्लंजर लाक से निकाली हुई चाभी को लाइन जमादार/पैटमैन होम सिगनल के खम्भे में लगें उपर्युक्त ताले में लगा देगा और तब कार्यरत स्टेशन मास्टर से हरे सिगनल का अदान–प्रदान करेगा।

(vi) यार्ड के अनुमुख और कार्य पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन को सबसे वाहरी अनुमुख कांटों पर जाना चाहिए और जिस लाइन पर गाड़ी आनेवाली है उसके लिए सभी अनुमुख कांटों को सही तौर पर बनाना चाहिए। तत्पश्चात् कार्य पर स्थित स्टेशन मास्टर से हरे सिगनल का आदान प्रदान करना चाहिए।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को दिन और रात्रि दोनों में ही कांटों की स्थिति तथा रात्रि में आगमन सिगनलों के पीछे की बत्तियाँ को देखकर अपने आपको आश्वस्त करने के बाद

2. **Station Master's Line Keys: -** The Station Master has been provided with the following Keys: -

   (i) Line Keys to correspond with the running line as shown in the Station Working Rules.

   (ii) A Signal control key which controls the Home Signal Levers and siding points, where H.P. Locks are provided.

   (iii) Two Direction Keys one for Up and one for Down Direction.

3. **Object of Line Keys**: - The object of the Line Keys is to provide definite instruction for the Line Jamadar/Pointsman from the Station Master as to the appropriate Line on which a train has to be admitted.

4. **Custody of Keys**: - The Line Keys, the signal control key and the Direction Control Keys must be kept in the custody of the Station Master on duty and when not in use must be kept locked up in the lock up boxes/glazed key box provided for the purpose.

5. **Provision of additional Home Signal Arms**: - The stations are equipped with Home Signals with two Arms on the same post one below the other. The top Home Signal arm reads for the Main Line whereas the lower arm is for the loop line/lines.

6. Procedure for reception of stopping trains: - (i) As soon as 'Line Clear' has been given, the Station Master on duty will have the station bell rung and the description of the train and the station it has left, or about to leave called out loudly to alert the staff.

   (ii) On hearing the station bell the Pointsman/Jamadar on duty at the facing and trailing ends of the station yard must report to the Station Master on duty for orders.

   (iii) The Station Master on duty in the presence and hearing of each must instruct the Line Jamadar/Pointsman as to the Line on which the train is to be received at the same time give the Line Jamadar/Pointsman on duty at facing end of the yard the appropriate line key and Home Signal key for the particular line.

   Note : See note (i) & (ii) below SR 5.01 (10) (b).

   (iv) The Line Jamadar/Pointsman must the proceed to all facing points over which incoming train will have to pass and set lock them for the appropriate line in accordance with the instructions contained in the Signaling Appendix attached to the Station Working Rules.

   (v) After setting and locking the facing points for the reception of the train in accordance with the Station Master's instructions with the Line Key in his possession, the Line Jamadar/Pointsman must insert the key extracted from the Triple H.P. Key Lock at the outermost facing points and the Home Signal Key in the appropriate locks provided on the Home Signal post and then exchange a green signal with the Station Master on duty.

   (vi) The Line Jamadar/Pointsman on duty at the trailing end of the yard must proceed to the Outermost trailing points and on his way there correctly set all trailing points for the line on the which the incoming train is to be received and then exchange a green signal with the Station Master on duty.

   (vii) The Station Master on duty after satisfying himself that the facing points have been set and locked in accordance with his instructions by observing the position

कि अनुदेशों के अनुसार सम्मुख कांटे सही तौर पर बना दिए गये हैं और उनमें ताला बन्द है होम सिगनल 'आफ' करने के लिए प्राधिकार करना चाहिए। तत्पश्चात् सम्मुख कांटों पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन बाहरी (आउटर) सिगनल को पीछे की बत्ती की दृश्यता सुनिश्चित करने के बाद 'आफ' करेगा। यदि किसी भी आगमन सिगनल का हत्था दिन में आधा झुका हो अथवा रात्रि में उसके पीछे की बत्ती दिखाई न देती हो तो वह सिगनल खराब समझा जायेगा तथा कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर सां0 और सहायक नियम 3.68 एवं 3.69 के अनुसार कारवाई करेगा।

(सहायक नियम 5.01(11) (च) (i) और (ii) को भी देखें)

(viii) गाड़ी के आगमन के पश्चात तथा सभी कांटों और क्रासिंग से साफ खड़ी होने के बाद और यदि कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग का आदेश न दिया गया हो तो जमादार/पैटमैन को चाहिए कि होम सिगनल के कांटे पर लगे ताले से चाभी निकाल लें कांटों के तालों को खोल दें और सम्बन्धित लाइन चाभी को तिहरे एच0 पी0 निकालकर तथा कांटों को सामान्य स्थिति में बनाकर स्टेशन वापस आये और कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर को लाइन चाभी तथा होम सिगनल की चाभी लौटा दें।

7. **मुख्य लाइन से बिना रूके जाने वाली सीधी गाड़ियाँः–** (i) कार्य पर स्थित स्टेशन मास्टर अनुमुख ओर के लाइन जमादार/पैटमैन को सम्बन्धित लाइन की चाभी देगा। आने वाली गाड़ी के मार्ग को स्वयं देखते हुए सबसे बाहरी अनुमुख कांटों पर वह जायेगा। रास्ता बनाकर ताला बन्द कर तथा सबसे बाहरी अनुमुख कांटे के ताले से सम्बन्धित चाभी को निकालकर वह स्टेशन वापस आ जायेगा और चाभी को कार्यरत स्टेशन मास्टर को दे देगा।

(ii) स्टेशन मास्टर अनुमुख ओर से प्राप्त चाभी एवं ट्रेन गोइंग टू चाभी को स्टेशन मास्टर के चाभी लाक अप बक्स में लगायेगा और चेतावनी सिगनल के नियंत्रण चाभी को निकालेगा। तत्पश्चात वह स्टेशन मास्टर के लाक अप बाक्स से निकाली गई चेतावनी सिगनल की नियंत्रण चाभी और सम्बन्धित ट्रेन कमिंग फ्राम की चाभी जो टोकेन/टेबलेट संयंत्र से निकाली गई है, सम्मुख ओर के पैटमैन को सम्बन्धित लाइन चाभी,होम सिगनल की चाभी एवं प्रस्थान प्राधिकार के साथ देगा। इसके बाद जिस लाइन से होकर गाड़ी पास होने वाली है, उसे स्वयं देखते हुए सम्मुख ओर का पैटमैन सबसे बाहरी सम्मुख कांटे पर जायेगा। वह मार्ग को सेट करेगा, ताला बन्द करेगा तथा सबसे बाहरी सम्मुख कांटे के ताले से चाभी निकालेगा। वह इस चाभी को तथा होम सिगनल की चाभी को होम सिगनल के खम्भे पर लगे हुए उपयुक्त ताले में लगायेगा।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को दिन और रात दोनों में ही कांटों की स्थिति तथा रात्रि में आगमन सिगनलों की बत्तियों को देखकर यह स्वयं को आवश्स्त करने के बाद कि उनके अनुदेशों के अनुसार सम्मुख नियमों के तौर पर बना दिये गये हैं और उनमें ताला बन्द है उपयुक्त होम सिगनल आफ करना चाहिए या 'आफ' करने के लिए प्राधिकृत करना चाहिए तत्पश्चात दृश्यता के पीछे की बत्ती द्वारा सुनिश्चित कर लेने के बाद सम्मुख कांटों पर तैनात लाइन जमादार/पैटमैन आउटर सिगनल को 'आफ' करेगा। यदि किसी भी आगमन सिगनल का हत्था दिन में आधा झुका हो अथवा रात में उसके पीछे की बत्ती न दिखाई हो तो वह सिगनल खराब समझा जायेगा तथा कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर सा0 और स0 नियम 3.68 एव 3.69 के अनुसार कार्यवाई करेगा।

(सहायक नियम 5.01(10)(च)(i) और (ii) को भी देखें)

(iv) सम्मुख ओर का पैटमैन आउटर सिगनल को 'आफ' करने के बाद चेतावनी सिगनल लीवर पर लगे सम्बन्धित तालों में वार्नर कन्ट्रोल तथा कमिंग फ्राम चाभियां लगायेगा। चेतावनी सिगनल को वह आफ कर देगा।

of Points Indicator both by day and night and back light of approach signals during night must take 'off' or authorize the taking 'off' of the appropriate Home Signal. The Jamadar/Pointsman at the facing points will then take 'off' the Outer signal after ascertaining the visibility of back light. If the signal arm of any of the approach signal is droping during day or its back light is not visible during night the signal shall be treated as defective and Station Master on duty will take action as per G. & S.R. 3.68 and 3.69.

(Also see S.Rs 5.01 (11) (f) (i) & (ii)

(viii) After the train has arrived and cleared all points and crossings and if no orders for shunting have been given by the Station Master on duty the Jamadar/ Pointsman must extract the keys from the locks on the post of the Home Signal, unlock the points, extract the relevant line key from the triple H.P. Key lock, set the points in their normal position return to the station and make over the Line key and the Home Signal Key to the Station Master on duty.

7. **Running through of trains via Main Line**: - (i) The Station Master on duty will hand over the relevant line key to the trailing end Line Jamadar/Pointsman. He will proceed to the Outer most trailing points examining personally the route over which the train will pass. He must set and lock the route and extract the relevant keys from the Outer most trailing point lock and return to the station and hand over the key to the Station Master on duty.

(ii) The Station Master will insert the key received from the trailing end and key 'Train going to' into the Station Master's Key Lock Up Box and extract control key of Warner Signal. He will then hand over the warner Signal Control Key extracted from Station Master's lock Up Box and relevant 'Train Coming From' Key extracted from Token/Tablet Instruments alongwith relevant Line Key, the Hole signal Key and authority to proceed to the facing end pointsman. Thereafter, the facing end pointsman shall proceed to the outermost facing points personally examining on the way the line over which the intended train will pass. He will set and lock the route and extract the relevant key from the outermost facing points lock. He must insert this key and the Home signal key in the appropriate locks on the Home signal post.

(iii) The Station Master on duty after satisfying himself that the facing points have been set and locked in accordance with his instructions by observing the position of Points Indicators both by day and night and back light of approach signals during night must take off or authorize the taking off of the appropriate Home signal. The Jamadar/Pointsman at the facing points will then take off the Outer signal after ascertaining the visibility of back light. If the signal arm of any of the approach signals is droping during day or its back light is not visible during night the signal shall be treated as defective and Station Master on duty will take action as per G.&S.R.3.68 and 3.69.

(Also see S.R. 5.01(10)(f)(i) & (ii))

(iv) The facing end pointsman after taking 'off' the Outer signal will insert 'warner signal Control' and 'Train Coming From' Keys in the relevant locks provided on the Warner Signal Lever. Warner signal will then be taken off.

(v) मुख्य लाइन से बिना रूके सीधे जानेवाली गाड़ियों को प्रस्थान प्राधिकार टोकन पिकअप आपरेट्स पर दिया जायेगा।

8. **रूकने वाली गाड़ियों का प्रस्थानः–** (i) स्टेशन से गाड़ी रवाना करने के पूर्व कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर को कांटा–संकेतकों को देखकर अपने आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि गाड़ी को रवाना करने के लिए अनुमुख कांटे सही तौर पर बनाये गये हैं और उसके बाद अनुमुख कांटों पर तैनात जमादार/पैटमैन से ही हैण्ड सिगनल का आदान–प्रदान करना चाहिए।

(ii) तत्पश्चात् लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार दिया जाना चाहिए और तब कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर को गाड़ी चलाने की आज्ञा देनी चाहिए।

(iii) अनुमुख कांटों पर कार्यरत जमादार/पैटमैन को जाने वाली गाड़ी को हरा हैण्ड सिगनल दिखाना चाहिए और जब तक गाड़ी सभी कांटों और क्रासिंगों से निकल न जाय तब तक कांटों पर रहना चाहिए।

(iv) गाड़ी के चले जाने के बाद अनुमुख कांटे के जमादार/पैटमैन को सभी कांटों को सामान्य स्थिति में बना देना चाहिए और स्टेशन लौट आना चाहिए।

9. **स्टेशन पर गाडियों का क्रास करनाः–** जब दो गाड़ियों पर क्रास करें तो सहायक नियम 5.01 (10)(ट) का पालन अवश्य चाहिए।

(v) The authority to proceed for run through trains via Main Line will be handed over through Token pick up Apparatus provided for the purpose.

8. **Dispatch of stopping trains**:- (i) Before a train is dispatched from a station, the Station Master on duty must satisfy himself that the trailing points are correctly set for the dispatch of the train by the position of the points indicators and must then exchange a green hand signal with the Jamadar/Pointsman on duty at the trailing points.

(ii) The authority to proceed must then be made over to the Loco Pilot, and the Station Master on duty must then give permission for the train to start.

(iii) The Jamadar/Pointsman at the trailing points must display a green hand signal towards the departing train and must remain at the points till the departing train has cleared all the points and crossings.

(iv) The Jamadar/Pointsman at the trailing points after the passage of the train must re-set all points in their normal position and return to the station.

9. **Trains Crossing at Station**: When two trains are to be crossed at a station the instructions in S.R. 5.01 (10)(k) must be observed.